

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24) कि0मी0 267-268 के मध्य चैनेज 267.640 ग्राम गौसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियो स्टार रियेल्टी प्रा0लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजीडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 5 3 वृक्षों की पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26336/2017)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1686/81-2-2021-800(145)/2021 दिनांक 02 अक्टूबर 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 01-11-2021 13:27:23

Reason: Approved

()

(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित